

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

V-210
8/12/23

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102922

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री अभिषेक सैनी पुत्र श्री कैलाश सैनी जाति सैनी निवासी 61, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	अभिषेक सैनी पुत्र कैलाश सैनी हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. देह खातेदार	1376/530	230	0.0230
			1388/529	982	0.0982
कुल					0.1212

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102912

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री आशीष कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र सैनी जाति सैनी निवासी 61, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	आशीष कुमार सैनी पुत्र कैलाश चन्द्र सैनी हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. देह खातेदार	1378/520	470	0.0470
			1389/529	617	0.0617
			1395/519	162	0.0162
कुल					0.1249

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102915

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री पप्पलाल सैनी जाति सैनी निवासी 59, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	मुकेश कुमार पुत्र पप्पलाल हिस्सा पर्ण जाति माली सा. दैह खातेदार	1379/520	760	0.0760
					कुल 0.0760

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102919

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री पप्पूलाल सैनी जाति सैनी निवासी 59, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	सुरेश सैनी पुत्र पप्पूलाल सैनी हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. दह खातेदार	1380/520	408	0.0408
			1383/521	352	0.0352
					कुल 0.0760

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102935

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री चंद्र प्रकाश सैनी पुत्र श्री पप्पूलाल सैनी जाति सैनी निवासी 59, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	चंद्र प्रकाश सैनी पुत्र श्री पप्पूलाल सैनी हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. देह खातेदार	1366/522	60	0.0060
2.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)		1384/521	700	0.0700
कुल					0.0760

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

४५

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जौन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102911

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री हरिनारायण सैनी पुत्र श्री दिनेश कुमार सैनी जाति सैनी निवासी 61, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	हरिनारायण सैनी पुत्र श्री दिनेश कुमार सैनी हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. दृह खातेदार	1369/522	1118	0.1118
2.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)		1393/512	13	0.0013
कुल					0.1131

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

AM
प्राधिकृत अधिकारी जौन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102926

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री हनुमान सैनी पुत्र श्री दिनेश कुमार सैनी जाति सैनी निवासी 61, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टेर)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	हनुमान सैनी पुत्र श्री दिनेश सैनी हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. दह खातेदार	1367/522	1120	0.1120
2.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)		1385/521	130	0.0130
					कुल 0.1250

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103065

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री बाबूलाल सैनी, ओमप्रकाश सैनी पुत्रान् श्री कन्हैया लाल सैनी एवं श्री पांचूराम सैनी पुत्र श्री भागीरथ सैनी जाति सैनी निवासी भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 4075 / 13926, पांचूराम पुत्र भागीरथ हिस्सा 2888 / 6963, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 4075 / 13926 जाति माली सा. देह खातेदार	1459/1418	24	0.0024
			1373/530	194	0.0194
			1373/530	640	0.0640
			1373/530	6151	0.6151
			1456/1416	382	0.0382
			1462/524	4184	0.4184
			1453/1414	289	0.0289
			1468/536	452	0.0452
				कुल	0.7816

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

५४

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103064

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री बबूलाल सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी जाति सैनी निवासी 61, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	बबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. देह खातेदार	1458/1418	598	0.0598
			1455/1416	259	0.0259
			1465/527	249	0.0249
			1374/530	19	0.0019
					कुल 0.1125

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

44
प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103059

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी जाति सैनी निवासी भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	ओमप्रकाश पुत्र श्री कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. देह खातेदार	1460/524	43	0.0043
			1463/525	196	0.0196
			1450/1414	60	0.0060
			1463/522	57	0.0057
			1454/1416	719	0.719
			1457/1418	55	0.0055
कुल					0.1130

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103060

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री बाबूलाल सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी जाति सैनी निवासी भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टर.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. देह खातेदार	1362/522	31	0.0031
			1451/1414	1013	0.1013
			1461/524	73	0.0073
			1464/525	4	0.0004
			1364/522	8	0.0008
				कुल	0.1129

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103061

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री बाबूलाल सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी जाति सैनी निवासी भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टर.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. देह खातेदार	1361/522	69	0.0069
			1391/512	616	0.0616
			1452/1414	290	0.0290
			1467/536	148	0.0148
					कुल 0.1123

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103029

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी जाति सैनी निवासी भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टर.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. दह खातेदार	1371/530	1127	0.1127
					कुल 0.1127

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103058

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी जाति सैनी निवासी भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण, जाति माली सा. दह खातेदार	1372/530	1126	0.1126
					कुल 0.1126

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103082

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

श्री गणेश सैनी एवं पांचु सैनी पुत्रान् श्री भागीरथ सैनी जाति सैनी निवासी 61, भागीरथ की ढाणी, पीपला भरतसिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

स्वास्तिक महिमा कालोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता अनमोल कटारिया पुत्र श्री शीतल कटारिया पता ए-13, गजेन्द्र मार्ग, महावीर नगर, टॉक रोड, जयपुर, राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3 बी प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	स्वास्तिकमहिमा कॉलोनाईजर्स प्रा लि हिस्सा पूर्ण, पंजिकृत कार्यालय 126 केशव विहार गोपालपुरा बाईपास, जयपुर खातेदार,	1353/640	2675	0.2675
			641	1100	0.1100
			642	1200	0.1200
			643	1400	0.1400
			644	1700	0.1700
			645	2800	0.2800
			646	1800	0.1800
			647	1400	0.1400
			648	1500	0.1500
			649	2000	0.2000
			650	3400	0.3400
			651/1	900	0.0900
2	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	गणेश पुत्र भागीरथ एवं पांचूराम पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार	1354/640	1925	0.1925
				कुल	2.3800

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.12.2023 को जारी की गयी।

(ग)

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103081

दिनांक: 07/12/2023

लोक सूचना

दीपिका बैद पत्नी ऋषभ बैद जाति जैन निवासी 602, पर्ल पलासिया, तख्ते शाही रोड, जयपुर एवं रूपांशी सिंघल पत्नी मनीष अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 208 केसर नगर, सांगानेर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः—

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	किशनपुरा उर्फ खातीपुरा, सांगानेर (जयपुर)	दीपिका बैद पत्नी ऋषभ बैद हि. 1/2 जाति जैन निवासी 602, पर्ल पलासिया, तख्ते शाही रोड, जयपुर एवं रूपांशी सिंघल पत्नी मनीष अग्रवाल हि. 1/2 जाति अग्रवाल निवासी 208 केसर नगर, सांगानेर, जयपुर।	871 / 532	3200	0.32
कुल					0.32

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **07-12-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर